न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 28 / 2025
जीसीएमएस न.:– 2025 / 28
प्रविष्टि दिनांक:– 28.01.2025
निर्णय दिनांक :– 20.5.2025

::–उनवान–::

श्री असीमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूँगरपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल निवासी ग्राम सिलावट तहसील राजाखेडा
2. मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं धारा 51

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षी श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: दिनांक: 20.5.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.8.2024 को दोपहर बाद पर मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सीमलवाडा पर पहुंचा। वहां श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल (विक्रेता एवं मालिक) मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।
2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में स्टील की ट्रै में 4 किलो खोया आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल को गवाह के सामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पर श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलालएवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के द्वारा तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में आम जनता को बेचने हेतु स्टील की ट्रै में 1 किलो खोया मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल को रू 300/— अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा स्टील की ट्रै में से 1 किलो खोया को चारो बोतल में बराबर—बराबर मात्रा में डालकर फार्मलिन की 40—40 बून्दे बोतलो में डाल कर एयर टाईट ढक्कन बन्द की चार लेबल तैयार किये गये नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक z-1473 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. z-1473 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला एम.जी. अस्पताल परिसर बांसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूँगरपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/4615 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. पी.एच. लैब/बांसवाडा/ एक्ट/ 2024/981 दिनांक 06.09.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

खोया खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अवमानक **(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री रामनारायण सिंह राजपुत पिता श्री नत्थीलाल उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **खोया** का विक्रय कर रहा था, वह जांच **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

8. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **खोया** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डूँगरपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii),एवं दण्डनीय धारा 51 का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 2,000/— (अक्षरे दो हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.5.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डूँगरपुर—राज0